



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



5 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 44 राँची, गुरुवार,

25 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2023

संख्या-1/पी०-103/2022 का०- 5807--प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के पद पर पदस्थापित श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह, भा०प्र०से० (झा: 2008) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-1/पी०-103/2022 का०- 5808--अपर नगर आयुक्त, चास नागर निगम, चास (बोकारो) के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार सिंह, भा०प्र०से० (झा: 2010) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी०-103/2022 का०- 5809--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अनिल कुमार, भा०प्र०से० (झा:2011) को अगले आदेश तक अपर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी०-103/2022 का०- 5810--अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा, गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री सौरभ कुमार भुवानिया, भा०प्र०से० (झा:2019) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास (बोकारो) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी०-103/2022 का०- 5811--अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित मो० जावेद हुसैन, भा०प्र०से० (झा:2019) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त मेदिनीनगर नगर निगम, मेदिनीनगर (पलामू) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी०-103/2022 का०- 5812--अनुमण्डल पदाधिकारी, श्री बंशीधर नगर, गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री आलोक कुमार, भा०प्र०से० (झा:2019) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त, आदित्यपुर नगर निगम (सरायकेला खरसावाँ) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी०-103/2022 का०- 5813--अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री रवि जैन, भा०प्र०से० (झा:2020) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें साहेबगंज अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
